कार्यालय जिला मजिस्ट्रेट, चित्रकूट।

संख्या 2124 /एस0टी0डी0एम0/2011–12 दिनांक मार्च 29, 2012

1. उप जिला मजिस्ट्रेट, कर्वी/मऊ।
2. सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी, चित्रकूट।
3. क्षेत्राधिकारी, नगर, राजापुर एवं मऊ।
4. खान निरीक्षक, चित्रकूट।

अधोहस्ताक्षरी को समाचार पत्रों एवं अन्य स्रोतों से इस आशय की काफी शिकायतें प्राप्त हो रही है कि बालू/मोरम का अवैध रूप से खनन एवं परिवहन किया जा रहा है, जिससे शासन को राजस्व की क्षति हो रही है। इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि जनपद चित्रकूट में संलग्न विवरण के अनुसार वर्तमान समय में बालू/मोरम के 06 खनन परमिट एवं 01 खनन पट्टा चल रहा है। इसके अतिरिक्त जनपद में यदि कही पर बालू/मोरम का खनन किया जाता है, तो वह पूर्णतया अवैध खनन है।

2– यह भी अवगत कराना है कि जनपद चित्रकूट में संलग्न विवरण के अनुसार खनिज सचल जॉच दल/रवन्ना संग्रह के मात्र 03 केन्द्र संचालित है। इसके अतिरिक्त जनपद में अन्य कहीं भी रवन्ना संग्रह केन्द्र संचालित है, तो वह पूर्णतया अवैध है।

3– उक्त के अतिरिक्त विशेष अनुज्ञा याचिका (सिविल) संख्या–19628–19629 वर्ष 2009, दीपक कुमार व अन्य बनाम हरियाणा राज्य व अन्य में पारित मा0 सर्वोच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 27.02.2012 (छायाप्रति संलग्न) के कार्यकारी अंश का भी अवलोकन करें, जिसके अनुसार 05 हे0 से कम क्षेत्र में भी खनन कार्य हेतु पर्यावरण विभाग की अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करना अनिवार्य कर दिया गया है।

अतः उपरोक्त के सम्बन्ध में आपको निर्देशित किया जाता है कि अपने–अपने क्षेत्र के अन्तर्गत सतर्क दृष्टि रखते हुए अवैध खनन पर प्रभावी अंकुश लगायें तथा अवैध खनन पाये जाने पर सम्बन्धित दोषियो के विरूद्ध सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत वैधानिक कार्यवाही सुनिश्चित करें तथा कृत कार्यवाही से अधोहस्ताक्षरी को भी अवगत करायें।

संलग्नकः– 1. बालू/मोरम के खनन परमिट/पट्टे की सूची।
2. खनिज सचल जॉच दल/ रवन्ना संग्रह केन्द्रों की सूची
3. मा0 सर्वोच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 27.02.2012 की छायाप्रति

(डॉ0 आदर्श सिंह)
जिला मजिस्ट्रेट,
चित्रकूट।

संख्या एवं दिनांक उपरोक्त।

---

1. प्रतिलिपि पुलिस अधीक्षक, चित्रकूट को संलग्नक सहित इस आशय से प्रेषित कि कृपया अवैध खनन/परिवहन पर प्रभावी अंकुश लगाये जाने हेतु अपने स्तर से समस्त थानाध्यक्षों को निर्देशित करने का कष्ट करें।
2. प्रतिलिपि अपर जिला मजिस्ट्रेट, चित्रकूट को संलग्नक सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
3. प्रतिलिपि जिला सूचना अधिकारी, चित्रकूट को संलग्नक सहित सूचनार्थ एवं इस आशय से प्रेषित कि अवैध खनन की शिकायत मोबाइल नं0–9453958941 (खान निरीक्षक), 05198–235305 एवं 05198–235425 पर दिये जाने हेतु सभी समाचार पत्रों में निःशुल्क प्रकाशित कराये।

(डॉ0 आदर्श सिंह)
जिला मजिस्ट्रेट

जनपद चित्रकूट में कार्यरत बालू/मोरम के परमिट का विवरण

क स	तहसील	ग्राम का नाम	खसरा नं0	क्षेत्रफल हे0	खनिज का नाम	पट्टाधारक का नाम	पट्टे की अवधि कब से	पट्टे की अवधि कब तक
1	कर्वी	दहिनी	8021	11.20	बालू/मोरम	श्री जगन्नाथ	06.01.12	05.04.12
2	कर्वी	डिघरी	04	5.24	बालू/मोरम	श्री सन्तोष कुमार पाण्डेय	04.01.12	03.04.12
3	कर्वी	कहेटामाफी	92/2	12.01	बालू/मोरम	श्री अरविन्द कुमार मिश्रा	09.02.12	08.05.12
4	कर्वी	लमियारी	2मि0 190/2	3.33	बालू/मोरम	श्री सुरेन्द्र कुमार	04.02.12	03.05.12
5	कर्वी	वीरधुमाई	02	0.43	बालू/मोरम	श्री वीरभान सिंह	05.03.12	04.06.12
6	कर्वी	गडौली	21	5.67	बालू/मोरम	श्री उमाकान्त त्रिपाठी	05.03.12	04.06.12

जनपद चित्रकूट में कार्यरत बालू/मोरम के पट्टों का विवरण

क स	तहसील	ग्राम का नाम	खसरा नं0	क्षेत्रफल हे0	खनिज का नाम	पट्टाधारक का नाम	पट्टे की अवधि कब से	पट्टे की अवधि कब तक
1	कर्वी	पिलखिनी	04	03.24	बालू/मोरम	श्री घनश्याम सिंह(नवी0)	17.12.11	16.12.14 चालू है

जनपद–चित्रकूट में कार्यरत सचल जाँच दल/रत्न्ना संग्रह केन्द्र का विवरण

क्र0सं0	तहसील का नाम	स्थल का नाम	प्रभारी कर्मचारी का नाम	पदनाम
1	2	3	4	5
1	कर्वी	शिवरामपुर	श्याम कुमार श्रीवास्तव	ड्रिल मैकेनिक
2	कर्वी	कालूपुर	कपिल देव	खनिज सहायक
3	मऊ	मुर्का	कपिल देव	खनिज सहायक

खान निरीक्षक
चित्रकूट

FROM : MINING LKO Copy FAX NO. : 05222205903 Mar. 24 2012 02:16PM P1

10070
28-3-12

सर्वोच्च प्राथमिकता
मा0 सर्वोच्च न्यायालय के आदेश।
संख्या–582/86–2012–235/2010

प्रेषक

मुकेश कुमार गुप्ता,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

भूतत्व एवं खनिकर्म अनुभाग लखनऊ दिनांक 22 मार्च, 2012

विषयः आई0ए0 सं0–12–13 /2011, विशेष अनुज्ञा याचिका (सिविल) संख्या–19628 –19629 वर्ष 2009, दीपक कुमार व अन्य बनाम हरियाणा राज्य व अन्य में पारित मा0 सर्वोच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 27.02.2012 के अनुपालन के संबंध में।

खनि अधिकारी
अनुपालन हेतु
जिलाधिकारी
24/3/12

महोदय,

उपर्युक्त के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रश्नगत विशेष अनुज्ञा याचिका में मा0 सर्वोच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 27.02.2012 के कार्यकारी अंश निम्नवत हैः–

"We, in the meanwhile, order that leases of minor mineral including their renewal for an area of less than five hectares be granted by the States/Union Territories only after getting environmental clearance from the MoEF. Ordered accordingly."

अतः कृपया मा0 सर्वोच्च न्यायालय के उपर्युक्त आदेशों का अनुपालन तत्काल सुनिश्चित कराते हुए कृत कार्यवाही से निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म, उ0प्र0 लखनऊ के माध्यम से शासन को अवगत कराने का कष्ट करें।

संयुक्त निदेशक
(भूतत्व)
निदेशक

भवदीय,
(मुकेश कुमार गुप्ता)
विशेष सचिव।

संख्या– (1)/86–2012, तद्दिनांक

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

M.O.
23/3/12

1. निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म, उ0प्र0, लखनऊ।
2. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
3. गार्ड बुक।

23/3/12

आज्ञा से,
(मुकेश कुमार गुप्ता)
विशेष सचिव।

baburam 235-2010

985
24.03.12

FROM : COMPUTER FAX NO. : 255326 Mar. 28 2012 18:11 P1